



# 8%बचत (करयोग्य) बँड,

## 2003 के लिए आवेदन

(जहां अपेक्षित हो ✓ का चिह्न लगाएं। क्षेत्र '\*' अनिवार्य हैं)

BARCODE

संशोधित प्रपत्र 'क' (21 अप्रैल, 2014 को अधिसूचित)  
संचयी

बैंक का नाम A X I S B A N K L T D.

शाखा का नाम

आवेदन संख्या

### केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

दलाल का नाम एवं कोड	उप-दलाल का नाम एवं कोड	बैंक शाखा मुहर	शाखा का नाम एवं कोड	बीएलए संख्या	द्वारा सत्यापित
लिंक सेल को अंतरण की तारीख (दिनांक/माह/वर्ष)	विशेष चालू खाता में जमा की तारीख (दिनांक/माह/वर्ष)	सरकारी खाता में जमा की तारीख (दिनांक/माह/वर्ष)	आवेदन प्राप्त की तारीख (दिनांक/माह/वर्ष)	शाखा का पूरा पता	

### आवेदक (कों) का/के नाम (साफ अक्षरों में)

प्रथम आवेदक: श्री/ श्रीमती/ सुश्री	अंतिम नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम
द्वितीय आवेदक: श्री/ श्रीमती/ सुश्री	अंतिम नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम
तृतीय आवेदक: श्री/ श्रीमती/ सुश्री	अंतिम नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम
अभिभावक: श्री/ श्रीमती/ सुश्री	अंतिम नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम

अभिभावक का अवयस्क के साथ संबंध

[ ] पिता

[ ] माता

[ ] वैध अभिभावक

\*जन्म तिथि : प्रथम आवेदक (दिनांक/माह/वर्ष) ...../...../..... लिंग: पुरुष/महिला

\*जन्म तिथि : द्वितीय आवेदक (दिनांक/माह/वर्ष) ...../...../..... लिंग: पुरुष/महिला

\*जन्म तिथि : तृतीय आवेदक (दिनांक/माह/वर्ष) ...../...../..... लिंग: पुरुष/महिला

माता का नाम

अंतिम नाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

### आवेदक का पत्राचार का पता :

टेलीफोन (कार्यालय/आवास)
ई-मेल का पता

### स्थिति :

- [ ] निवासी व्यक्ति
- [ ] एच यू एफ
- [ ] अवयस्क की ओर से
- [ ] धर्मार्थ संस्थान
- [ ] मुख्तारनाम धारक
- [ ] विश्वविद्यालय

### निवेश का ब्यौरा :

- [ ] नया बँड बही खाता खोलें
- [ ] मेरे बँड बही खाता संख्या ..... में जमा करें

### धारिता का तरीका :

- [ ] एकल
- [ ] संयुक्त
- [ ] कोई एक अथवा उत्तर जैवित

### अंशदान का तरीका :

[ ] नकद

[ ] चैक / डिमांड ड्रॉफ्ट

चेक/डिमांड ड्रॉफ्ट सं ..... दिनांक : ...../...../..... (बँक/शाखा) में आहरित .....  
 (दिनांक/माह/वर्ष)  
 (राशि) ..... (रुपए..... केवल).

\*प्रथम आवेदक के बैंक का ब्यौरा : (ब्याज/मोचन के भुगतान के लिए निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करें।)

ब्याज भुगतान विकल्प : ब्याज की राशि सीधे मेरे खाते सं ..... मे जमा करें।

बैंक खाते का विवरण : बैंक का नाम ..... शाखा .....

खाता संख्या																				
बैंक और शाखा की नौ अंकीय कोड संख्या, जो बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर अंकित हो																				
आईएफएससी कोड																				

### हस्ताक्षर एवं पैन संख्या

	हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप@	पैन संख्या	आयकर सर्कल/वार्ड/जिला	बैंक खाता संख्या एवं शाखा	एमआईसीआर कोड एवं आईएफएससी कोड
प्रथम आवेदक*					
द्वितीय आवेदक					
तृतीय आवेदक					

@अंगूठे की छाप दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित हो

\*संभी क्षेत्र अनिवार्य है।

गवाह :

प्रथम गवाह का नाम .....

द्वितीय गवाह का नाम .....

पता .....

पता .....

हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर .....

## एनईसीएस / एनईएफटी आदेश पत्र

(बैंक खाते की मोचन राशि/व्याज जमा करने हेतु जो बाँड बही खाता धारक बैंक द्वारा नहीं जमा की जाती)

प्रथम आवेदक का नाम

प्रथम आवेदक: श्री/ श्रीमती/ सुश्री																				
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अंतिम नाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

बैंक के खाते का विवरण : बैंक का नाम ..... शाखा .....

बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चैक पर बैंक व शाखा की नौ अंक की कोड संख्या																			
आईएफएससी कोड																			

(कृप्या कोड सं. के सत्यापन के लिए बैंक द्वारा आपको जारी किए गए चैक की एक छायाप्रति अथवा कैंसिल चैक संलग्न करें)।

खाते का प्रकार [ ] बचत खाता [ ] चालू खाता

खाता संख्या																			
लेजर संख्या																			
लेजर पृष्ठ संख्या																			

मैं एतद्वारा..... (बैंक का नाम), एनईसीएस / एनईएफटी के माध्यम से अपने व्याज/मोचन राशि को जमा कराने के लिए प्राधिकृत करता / करती हूँ। मैं, एतद्वारा, घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दिया गया विवरण सही और पूर्ण है। यदि अपूर्ण अथवा गलत सूचना के कारण लेन-देन में विलंब होता है, मैं इसके लिए प्रयोगकर्ता संस्थान को दोषी नहीं ठहराऊंगा। मैं, एतद्वारा स्कीम के तहत प्रतिभागी के तौर पर मुझसे अपेक्षित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने को सहमत हूँ।

स्थान ..... दिनांक ..... / ..... / ..... (आवेदक के हस्ताक्षर) .....

बैंक प्रमाणीकरण (अपेक्षित नहीं, यदि चैक की छायाप्रति दी गई हैं।)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गया विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही है।

(दिनांक, बैंक की मुहर व प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)



# गैर विभाजित हिन्दू परिवार घोषण प्रपत्र

(अनिवार्य, यदि आवेदक गैर विभाजित हिन्दू परिवार में कर्ता हैं)

मैं ..... प्रथम आवेदक के समक्ष दिए गए पते का निवासी, सत्यनिष्ठापूर्ण यह घोषणा करता / करती हूँ कि मैं गैर विभाजित हिन्दू परिवार में कर्ता हूँ और इस हैसियत से मुझे गैर विभाजित हिन्दू परिवार के नाम से 8% बचत (करयोग्य) बॉड 2003 को बेचने, पृष्ठांकित, हस्तांतरित अथवा अन्य कुछ करने की पूर्ण शक्ति हैं।

(गैर विभाजित हिन्दू परिवार) के लिए और उनकी ओर से नमूना हस्ताक्षर .....

स्थान : ..... दिनांक : ..... / ..... / .....

(गैर विभाजित हिन्दू परिवार की मुहर सहित कर्ता का नाम)

नामांकन सुविधा (वैकल्पिक)

मैं ..... निवासी .....  
..... जो कि बॉड बही संख्या ..... का धारक हूँ

निम्नलिखित व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ, जिनका मेरी मृत्यु के पश्चात बॉड पर अधिकार होगा/निम्नलिखित विनिर्दिष्ट बॉड पर देय भुगतान राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा :

नामांकित व्यक्तियों का विवरण							
क्र. सं.	जारी करने की तारीख	राशि (₹)	पुनः भुगतान की तारीख	नामांकित व्यक्ति का पूरा नाम तथा विस्तारित उप-नाम तथा पता	जन्म तिथि	धारक से संबंध	बॉड लेखा का विवरण

यदि नाम निर्देशित व्यक्ति अवयस्क है, तो कृप्या निम्नलिखित लाइन भरें :

चूकि ..... उपर्युक्त नामनिर्देशित व्यक्ति इस तारीख को अवयस्क है, अतः मैं ..... श्री/ श्रीमती/ कुमारी .....  
..... को मेरी मृत्यु होने पर उपर्युक्त नामांकित व्यक्ति ..... (नामांकित व्यक्ति जो अवयस्क है) के अवयस्क बने रहने पर<sup>उपर्युक्त बॉड</sup> ..... पर देय धनराशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ।

नामांकन में परिवर्तन करना: यह नामांकन मेरे द्वारा किए गए दिनांक ..... / ..... / ..... के नामांकन के प्रतिस्थापना के संबंध में है, जो कि आपकी बही में  
दर्ज है तथा जो इस नामांकन के दर्ज नामांकन के दर्ज किए जाने के पश्चात रद हो जाएगा ।

स्थान .....

दिनांक : ..... / ..... / .....

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशाना

गवाह :  
प्रथम गवाह का नाम .....  
पता .....  
द्वितीय गवाह का नाम .....  
पता .....  
हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर .....

# 8% बचत करयोग्य बॉड 2003 में निवेदकों के लिए जानकारी

भारत सरकार के दिनांक 21 मार्च, 2013 की अपनी अधिसूचना संख्या एफ 4 (10) डब्ल्यू एण्ड एम / 2013 के द्वारा 8% (करयोग्य) बॉड, 2003 को शुरू किया है। इस योजना के मुख्य पहलू निम्नानुसारी है :-

मद	8% बचत करयोग्य बॉड, 2003	टिप्पणी
1) निवेशक की श्रेणी	एकल व्यक्ति, हिन्दू अभिभासित परिवार, विश्वविद्यालय, धर्मार्थ संस्था	इन बॉडों में निवेश के लिए अनिवासी भारतीय पात्र नहीं हैं।
2) निवेश की सीमा	न्युनतम 1000/- रुपए तथा 1000/- रुपए के गुणांक	कोई अधिकतम सीमा नहीं।
3) बॉड जारी करने की तारीख	निधि प्राप्त करने की तारीख/चैक/ड्राफ्ट के खाते में आने की तारीख	
4) बॉड के प्रपत्र	बॉड बही खाता	
5) विकल्प	गैर संचयी/संचयी	विकल्प में परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
6) ब्याज	गैर संचयी विकल्प के मामले में ब्याज छमाही आधार पर देय होगा। संचयी विकल्प के मामले में ब्याज परिपक्वता के समय देय होगा।	छमाही ब्याज 1 फरवरी / 1 अगस्त को देय है।
7) परिपक्वता के बाद ब्याज	परिपक्वता के बाद ब्याज देय नहीं है।	
8) बैंक लेखा	निवेशक के लिए यह अनिवार्य है कि वह बैंक खाते का ब्यौरा दे ताकि ब्याज/परिपक्वता राशि का भुगतान करना आसान हो सके।	
9) कर लाभ	बॉड से होने वाली आय कर योग्य है। सम्पत्ति कर की छूट है।	ब्याज भुगतान पर कर को झोत से काट लिया जाएगा।
10) नामांकन सुविधा	पूर्ण धारक अथवा सभी संयुक्त धारक, एक अथवा अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं।	अनिवासी भारतीय भी नामित किए जा सकते हैं। तथापि, ब्याज/परिपक्वता राशि का सप्रेषण उस समय प्रेषण के लिए प्रचलित विदेशी विनियम नियमों के तहत होगा।
11) परिपक्वता अवधि	6 वर्ष के पश्चात।	
12) समयपूर्व मोचन	29 जुलाई 2013 की सरकारी अधिसूचना और 16 अगस्त, 2013 की अधिसूचना के परिवर्ती संशोधन के अनुसार यह सुविधा पात्र निवेशकों को उपलब्ध है।	
13) अंतरणीयता	बॉड का द्वितीयक बाजार में व्यापार नहीं होगा। तथापि, बॉडों पर ऋण लिया जा सकेगा।	
14) इन बचत बॉडों की प्रतिभूति पर बैंकों से ऋण	इन बॉडों के धारक, बॉड प्रतिभूति के बदले ऋण हेतु अनुसूचित बैंकों, के पक्ष में शपथ, गिरवी अथवा लियन रख सकेंगे।	
15) आवेदन पत्र	भारतीय स्टेट बैंक तथा सम्बद्ध बैंकों की शाखाएं, 18 राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी क्षेत्र के 3 बैंक और स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	

## निवेशक/आवेदक के कर्तव्य

- क) कृपया आवेदन पूर्ण रूप से भरें।
- ख) अचूरे भरे गए आवेदन से बॉडों के जारी होने में विलम्ब होगा (निवेदक को नुकसान होगा)। ज)
- ग) यदि धारक द्वारा आवेदन मुख्तारनामा के जरिए प्रस्तुत किया जाता है मूल मुख्तारनामा की अनुप्रमाणित प्रति के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें। झ)
- घ) यदि आवेदन अवयस्क की ओर से है तो स्कूल अथवा नगर निगम प्राधिकारी का जन्म त) का मूल प्रमाण—पत्र अनुप्रमाणित प्रति के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें।
- ङ) कृपया यह नोट करें कि नामांकन की सुविधा सहायता/बचत बॉड के एकमात्र धारक ट) अथवा सभी संयुक्त धारकों (निवेशकों) को है। ठ)
- च) यदि नामनिर्देशित व्यक्ति अवयस्क है तो कृपया उसकी जन्मतिथि लिखें तथा इसके ड) लिए अभिभावक भी नियुक्त किया जा सकता है।
- छ) यदि निवेश अवयस्क की ओर से है तो नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- कृपया संचयी/गैर संचयी बॉडों के निर्गम के लिए पृथक आवेदन पत्र (मिन्न-मिन्न रगों) में भरें। विकल्प में परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
- कृपया पते में परिवर्तन से यथाशीघ्र अवगत कराएं।
- परिपक्वता तिथि के पश्चात, परिपक्वता के बाद का ब्याज देय नहीं होगा। अतः देय तारीख पर भी धनराशि वापस लें।
- कृपया अपनी जन्मतिथि/उम्र दर्शाएं।
- इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए अपना बैंक खाता उपलब्ध करावाएं।
- कर लागू होने संबंधी कोई भी जानकारी बैंक/शाखा को दी जाए।

## निवेशक के अधिकार

- क) बॉँड प्रमाणपत्र निधि प्राप्त होने/चैक/ड्राफ्ट के खाते में जमा होने की तारीख को जारी किया जाएगा।
- ख) निवेशक के आवेदन की तारीख से 5 दिन के भीतर धारिता प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।
- ग) बॉँड कर व्याज नकद में अंशदान की तारीख अथवा चैक के नकदीकरण की तारीख से प्रोटूट होता है। व्याज आवेदन फार्म में उसके द्वारा मुहैया कराए गए धारक के खाते में सीधे जमा किया जाएगा।
- घ) 1 फरवरी/1 अगस्त को व्याज बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
- ङ) निवेशक को व्याज के भुगतान की रसीद देय तिथि से एक माह अग्रिम में जारी की जाएगी।
- च) बॉँड की देय तारीख के एक माह पूर्व परिपक्वता सूचना भिजवा दी जाएगी।
- छ) व्याज और मूलधन के निःशुल्क डिमांड ड्राफ्ट अथवा समतुल्य चैक पर भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
- ज) अंतर बैंक शाखा अथवा अंतर बैंक शाखा में बॉँड के अंतरण की सुविधा उपलब्ध है।
- झ) बचत बॉँडों के संबंध में निवेश, मोचन, एनईसीएस/एनईएफटी अधिदेश आदि के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट [www.axisbank.com](http://www.axisbank.com) (बैंक और एसएचसीआईएल बैंक वेबसाइट) पर उपलब्ध है।
- त) एकमात्र धारक अथवा सभी संयुक्त धारक, बॉँड के अधिकार के संबंध में एक अथवा अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकता है। अनिवासी भारतीयों को भी नामनिर्देशित किया जा सकता है।
- ट) नामांकन जारी किए जाने वाले कार्यालय में दर्ज किया जाएगा तथा धारक को पंजीकरण का प्रमाण—पत्र जारी किया जाएगा।
- ठ) नया नामांकन दर्ज करवा कर नामांकन में परिवर्तन किया जा सकता है।
- ड) जारी करनेवाले कार्यालय को अनुरोध करके मौजूदा नामांकन को रद्द करवाया जा सकता है।
- ढ) निवेश की तारीख से 6 वर्ष पूरे होने पर मोचन हो सकेगा।
- ण) दिनांक 29 जुलाई 2013 की अधिसूचना और 16 अगस्त, 2013 की परिवर्ती अधिसूचना के जरिए सरकार द्वारा जारी शर्तोंके अनुसार, परिपक्वता समय पूर्व मोचन की सुविधा शुरू की गई है।
- त) धनराशि वापस लेने के अनुरोध की तारीख से पांच कार्य दिवस के भीतर निवेशक भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा।
- थ) व्याज/धनराशि वापस लेने में विलंब से बचने के लिए आवेदक, अर्धवार्षिक व्याज/परिपक्वता पर धनराशि के ईसीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस अथवा बैंक खाते में सीधे क्रेडिट करने का विकल्प दे सकेगा।
- द) निवेशक, विलंब भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्रों के माध्यम से समय—समय पर जारी दरों पर प्रतिपूर्ति का हकदार हैं। यदि बैंक उपयुक्त अनुपालन नहीं करता है तो आप उसी बैंक के काउंटर पर उपलब्ध प्रपत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के नजदीकी कार्यालय को निम्नानुसार लिखित में शिकायत कर सकते हैं:

क्षेत्रीय निदेशक,  
भारतीय रिजर्व बैंक,  
ग्राहक सेवा विभाग/बैंकिंग लोकपाल  
(स्थान)

आप अपनी शिकायत निम्नलिखित को संबंधित कर सकते हैं:

मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी,  
सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय,  
भायखला, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने  
मुंबई – 400 008, महाराष्ट्र

डिस्क्लेमर: मैंने निवेशक की जानकारी का व्यौरा तथा अधिकार और कर्तव्य पढ़ और समझ लिए हैं। एजेंट/बैंक ने इस योजना के पहलुओं से मुझे अवगत करा दिया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

..... यहां से फाँड़े .....

आवेदन प्रपत्र की पावती

आवेदन संख्या

बैंक शाखा .....

दिनांक ..... / ..... / .....

श्री/श्रीमती/सुश्री ..... से 8% बचत (करयोग्य) बॉँड,  
2003 की खरीद के लिए 6 वर्ष की अवधि के लिए ..... रुपए नकद/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/चैक  
संख्या ..... दिनांक ..... / ..... / ..... (बैंक और शाखा) से प्राप्त हुए। इन पर .....  
रुपए ..... (रुपए ..... केवल) की नाममात्र कीमत  
पर संचयी/गैर संचयी आधार पर व्याज देय है।

दिनांक, बैंक की मुहर व बैंक के प्रधिकृत अधिकारी  
के हस्ताक्षर